रिवीजन क.   /2015

न्यायालय माननीय रेवेन्यु बोर्ड, कैम्प इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.

निग / 3668-PBR-15

कुमारी अर्चना माहेश्वरी, एडवोकेट द्वारा दिनांक 13.10.15 को पेश किया

अबेसिंह पिता मोचला भील मृत तर्फे वारिसान

पुरबसिंह पिता अबेसिंह भील

आयु वयस्क, धंधा खेती,

निवासी– कागझर तह. व जिला झाबुआ, म.प्र............ आवेदक / प्रत्यर्थी

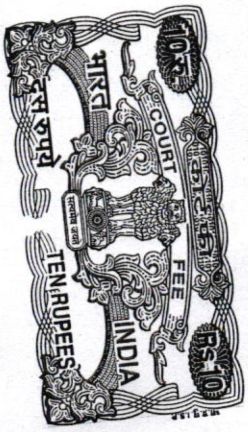

विरूद्ध

1. रतनसिंह पिता हिम्मतसिंह भील
2. सवेसिंह पिता हिम्मतसिंह भील
3. नानी पति हिम्मतसिंह भील

निवासी– कागझर तह. व जिला झाबुआ, म.प्र.......रेस्पाण्डेन्ट / प्रार्थी

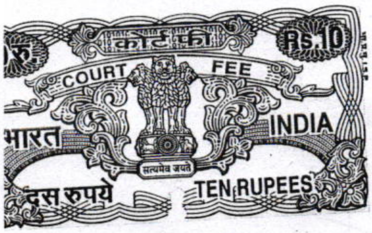

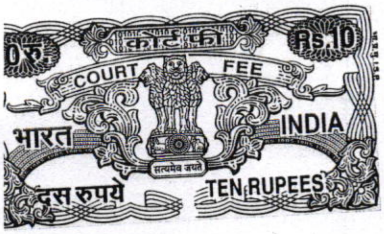

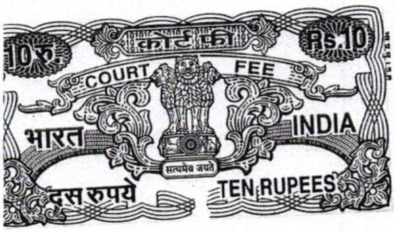

अबेसिंह पिता मोचला भील मृत तर्फे वारिसान

4. नागु पिता अबेसिंह भील

   निवासी– कागझर तह. व जिला झाबुआ, म.प्र

5. जेलकी पति पांगा भील

   निवासी– बडी ढेकल जिला झाबुआ, म.प्र

6. अदीबाई पति मीरू मृत तर्फे वारिसान

   अ.   मीरू पिता नानसिंह

   ब.   खुमसिंह पिता मीरू

   निवासी– भोंडली जिला झाबुआ, म.प्र

   स.   ललाबाई पति नरू

   निवासी– गग्रम पुलावा तह. रानापुर जिला झाबुआ, म.प्र

7. झुनका पति नानसिंह भील

   निवासी– बोडली जिला झाबुआ, म.प

8. अनाबाई पति हवसिंहए

   निवासी– थुवादरा जिला झाबुआ, म.प

CF 20/10/15

Archana Maheshwari

Adv.

9. तेजीबाई पति पीसू

निवासी– हट्टीपुरा रानापुर जिला झाबुआ, म.प

10. कमाबाई पति उकार

निवासी– सियाली जिला झाबुआ, म.प्र.

सभी प्रत्यर्थीगण – आयु वयस्क, धंधा खेती,

11. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार झाबुआ...........रेस्पाण्डेन्ट / प्रत्यर्थी

<u>रिवीजन अर्न्तगत धारा ५० म.प्र. भू राजस्व संहिता **1959**</u>

माननीय महोदय

आवेदक की ओर से सादर नम्र निवेदन है कि :–

माननीय अपर आयुक्त महोदय संभाग, इंदौर जिला इंदौर के द्वारा प्रकरण कंमाक 62 / अपील / 2011–2012 मे दिनांक 16.05.12 को पारित आदेश स्वीकार होने से असंतुष्ट व व्यथित होकर जिसमे अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व झाबुआ जिला झाबुआ के द्वारा प्रकरण क. 08 / अपील / 2003–04 में दिनांक 28.06.06 को पारित आदेश निरस्त किया होने के साथ प्रकरण को निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जिसमे असन्तुप्ट एवं व्यथित होकर जिसमे तहसीलदार महोदय झाबुआ द्वारा दिनांक 29.03.04 को पारित आदेश से नांमातरण स्वीकार कर शेष प्रविप्टी यथावत रहने के आदेश जारी किये गये थे। आवेदक द्वारा यह रिवीजन निम्न एवं अन्य अनेकानेक ठोस कानूनी आधारो पर प्रस्तुत करता है कि :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3668–पीबीआर/15 [अबेसिंह / रतनसिंह] जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–1–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय के अपील प्रकरण क्रमांक 62/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16–5–2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में लगभग 3 वर्ष 5 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कारण उनके अधिवक्ता की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं होना बताया है । आवेदक को अपने प्रकरण की जानकारी अधिवक्ता से सम्पर्क कर स्वयं लेनी चाहिये थी । अतः प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब कारण समाधानकारक नहीं होने के कारण यह निगरानी अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	